

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

आय-कर

का.आ. 1211(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80झक की उप-धारा (4) के खंड (iii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 18ग में, उप-नियम (1) में, “2009” अंकों के स्थान पर, “2011” अंक रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 38/2010/फा. सं. 149/52/2010-एसओ(टीपीएल)]

विमल आनंद, अवर सचिव (टीपीएल-II)

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2008 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 50(अ), तारीख 8 जनवरी, 2008 से किया गया था ।